रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260650
CG-DL-E-31012025-260650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2025/ माघ 11, 1946
No. 88] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2025/ MAGHA 11, 1946

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

फा. सं. वाई–11011/11/2022 (9140296)— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ सहायक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, (समूह 'ग' पद), भर्ती विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर, वह होगा, जो इन विनियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल देने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन विनियमों की कोई भी बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन याअचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	07*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ग' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 1(18000 रु. – 56900 रु.)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।

					जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और पांगी सब-डिविजन तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	
सीधे भर्ती किए जाने वालों व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।		प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

दशा में लागू होगी या नहीं।			प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1.निदेशक (प्रशासन और वित्त) - अध्यक्ष; 2.वित्त और लेखा अधिकारी – सदस्य; 3.उप निदेशक (प्रशासन) - सदस्य; और 4.अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि - सदस्य।	लागू नहीं होता।

अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./945/2024-25]

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2025

F. No.Y-11011/11/2022 (9140296).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) and in supersession of the National Capital Region Planning Board Recruitment and Promotion Rules, 2006, in so far as they relate to the post of Junior Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Capital Region Planning Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the National Capital Region Planning Board, namely:-

1. Short title and commencement. – 1.These regulations may be called the National Capital Region Planning Board, Multi-Tasking Staff (Group ‘C’ Post)Recruitment Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.-The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The Method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No Person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi-Tasking Staff.	07* (2024) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'C' post to the Government of India.	Level-1 (₹ 18000-56900) in the pay matrix.	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed	10th class pass from a recognised Board.

					for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the competent authority.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director (Administration and Finance) – Chairperson; 2. Finance and Accounts Officer – Member; 3. Deputy Director (Administration) -Member; and 4. One representative from Scheduled Castes or Scheduled Tribes - Member.	Not applicable.

ARCHANA AGRAWAL, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./945/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.31 15:42:28 +05'30'